NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 28-08-2024

तालिका

शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाले केंद्र स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं

प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष

शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया

बलूचिस्तान क्षेत्र में अशांति

भारत-ब्राजील सामरिक साझेदारी

ऑस्ट्रेलिया में डिस्कनेक्ट करने का अधिकार: काम और जीवन में संतुलन

संक्षिप्त समाचार

फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध

आईएमडीएक्स एमपॉक्स डिटेक्शन आरटी-पीसीआर जाँच

हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि

BPR-D का 54वां स्थापना दिवस

भारत को छड के तहत पहला क्वांटम कंप्यूटर प्राप्त होगा

सतीश कुमार: रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष

हूलॉक गिबन्स

सूडान

शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाले केंद्र स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं

सन्दर्भ

- शास्त्रीय भाषाओं के रूप में तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित विशेष केंद्र, उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं।
    - शास्त्रीय भाषाओं के चारों केंद्र, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूर के तत्वावधान में कार्य करते हैं, तमिल केंद्र स्वायत्त है।

स्वायत्त विशेष केन्द्रों की आवश्यकता

- **वित्तीय स्वतंत्रता:** ये केंद्र वर्तमान में मैसूरु में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL) के अधीन कार्य करते हैं, जो उनके वित्तीय संचालन को नियंत्रित करता है। स्वायत्त बनने से, इन केंद्रों का अपने वित्त पर सीधा नियंत्रण होगा, जिससे वे बिना किसी देरी के गतिविधियों की योजना बना सकेंगे और उन्हें लागू कर सकेंगे।
- **संचालन लचीलापन:** स्वायत्तता की कमी के कारण, इन केंद्रों को दिन-प्रतिदिन के संचालन को प्रबंधित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अनुसंधान विद्वानों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए कई स्वीकृत पद वित्तपोषण में देरी या प्रतिबंधों के कारण खाली रह जाते हैं।
- **सुधारित शासन और जवाबदेही:** स्वायत्तता निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी, जिससे नौकरशाही की परतें कम होंगी जो वर्तमान में संचालन को धीमा कर देती हैं।
- **तमिल भाषा केंद्र के साथ तुलना:** तमिल भाषा केंद्र, जो पहले से ही स्वायत्तता का आनंद लेता है, एक सफल मॉडल के रूप में कार्य करता है। स्वतंत्र रूप से संचालित करने की इसकी क्षमता ने इसे अपने अधिदेश को बेहतर ढंग से पूरा करने की अनुमति दी है।

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL)

- यह शिक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1969 में मैसूर में की गई थी।
- संस्थान विभिन्न व्यापक योजनाओं के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देता है।

भारत में शास्त्रीय भाषाएँ

- **भारत में छह शास्त्रीय भाषाएँ हैं - तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया।**
    - तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था।
    - सभी शास्त्रीय भाषाएँ संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
- **मानदंड:** इसके प्रारंभिक ग्रंथों/अभिलेखित इतिहास की प्राचीनता 1,500-2,000 वर्ष की होनी चाहिए,
    - प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक समूह जिसे बोलने वालों की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान विरासत माना जाता है,

- साहित्यिक परंपरा मूल होनी चाहिए और किसी अन्य भाषण समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए,
- उक्त भाषा और साहित्य अपने आधुनिक प्रारूप से अलग होना चाहिए।

- **लाभ:** जब किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में अधिसूचित कर दिया जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय उसे प्रोत्साहन देने के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है, जैसे:
  - उक्त भाषाओं के प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए दो प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, शास्त्रीय भाषा में अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध है कि वह कम से कम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा के लिए निश्चित संख्या में पीठों की स्थापना शुरू करे।
- संस्कृत के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित विश्वविद्यालयों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से प्रत्यक्षतः धनराशि भी मिलती है।

आठवीं अनुसूची

- भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है।
- भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है।
- आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है:
  - असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी वे 22 भाषाएँ हैं जो वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित हैं।
  - इनमें से 14 भाषाओं को शुरू में संविधान में सम्मिलित किया गया था। इसके पश्चात्, सिंधी को 1967 में जोड़ा गया; कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया; और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया।

Source: TH

प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष

सन्दर्भ

- वित्त मंत्रालय के तहत 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने सफलतापूर्वक कार्यान्वयन का एक दशक पूरा कर लिया है।

परिचय

- PMJDY वित्तीय समावेशन के माध्यम से हाशिए पर पड़े और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सहायता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल है।
- PMJDY प्रत्येक गैर-बैंकिंग वयस्क के लिए एक बुनियादी बैंक खाता प्रदान करता है।

जन धन योजना की मुख्य विशेषताएं

- PMJDY के तहत, व्यक्ति किसी भी बैंक शाखा में या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ('बैंक मित्र') के माध्यम से बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खाता खोल सकते हैं।
- इस योजना के प्रमुख लाभों में सम्मिलित हैं:
  - PMJDY खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं;
  - PMJDY खातों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज;
  - खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड का प्रावधान;
  - रुपे कार्ड के साथ 100,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए नए खातों के लिए 200,000 रुपये तक बढ़ाया गया);
  - पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा;
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT),
  - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY),
  - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY),
  - अटल पेंशन योजना (APY), और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक (MUDRA) योजना के लिए पात्रता।

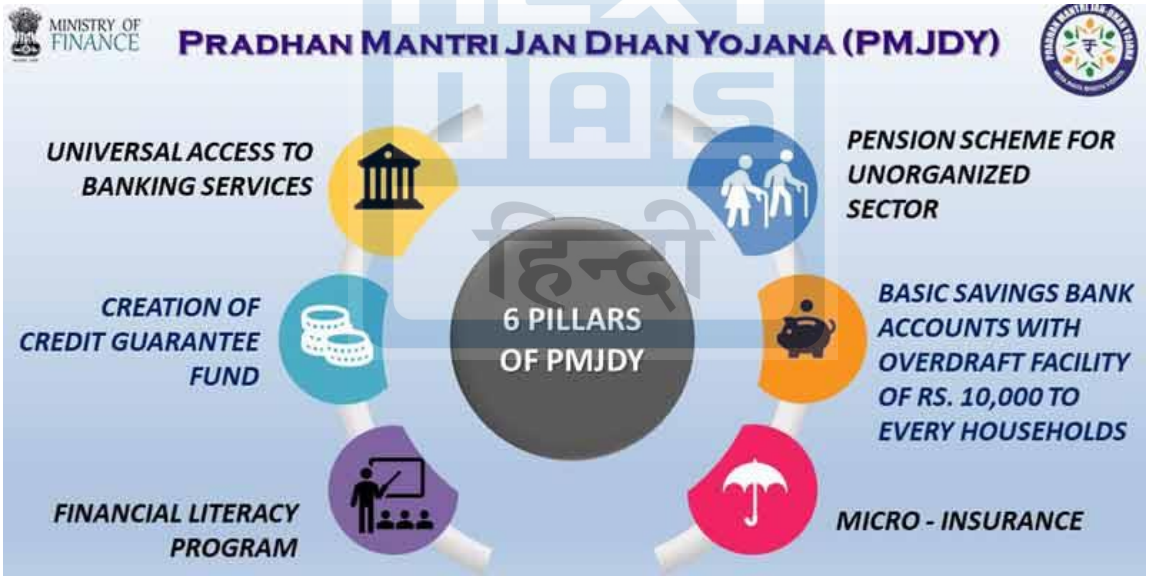

महत्व

- PMJDY सरकार द्वारा बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी परेशानी के लाभार्थी को सब्सिडी/भुगतान, निर्बाध लेन-देन और बचत संचय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
- जन सुरक्षा योजनाओं (सूक्ष्म बीमा योजनाओं) के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के लाखों श्रमिकों को जीवन और दुर्घटना बीमा प्रदान करने में वे महत्वपूर्ण रहे हैं।

योजना का सफल कार्यान्वयन

- इस पहल की सफलता इस बात में परिलक्षित होती है कि जन धन खाते खोलने के माध्यम से 53 करोड़ लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाया गया है।

- इन बैंक खातों में 2.3 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि जमा हुई है और इसके परिणामस्वरूप 36 करोड़ से अधिक निःशुल्क RuPay कार्ड जारी किए गए हैं, जो 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करते हैं।
- 67% खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं और 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं।

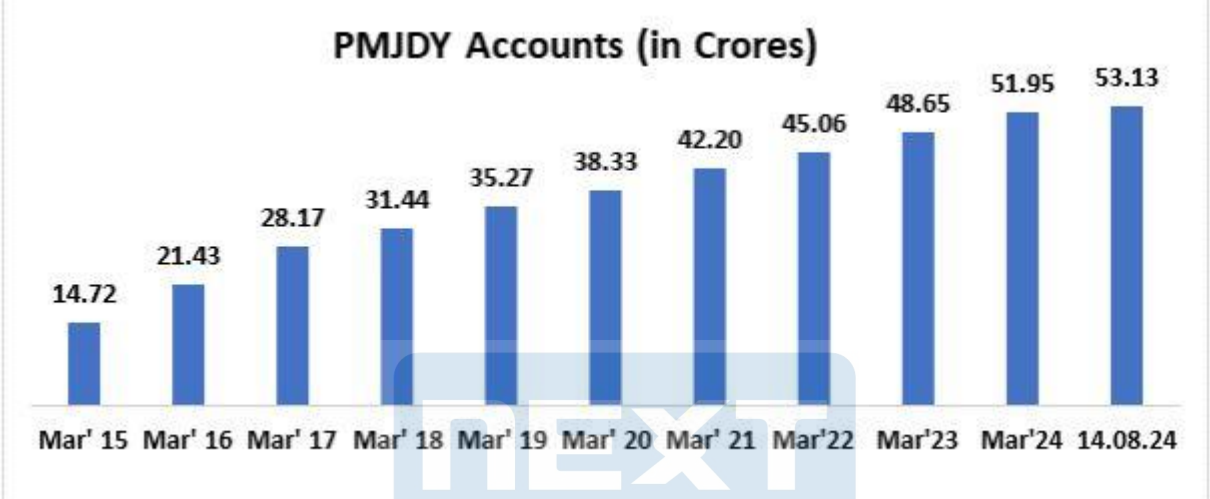

निष्कर्ष

- PMJDY की सफलता इसके मिशन-मोड दृष्टिकोण, विनियामक समर्थन, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और बायोमेट्रिक पहचान के लिए आधार जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के महत्व को प्रकट करती है।
- खाताधारक अब बचत पैटर्न दिखा सकते हैं, जिससे वे बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण के लिए पात्र हो जाते हैं।
- PMJDY विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, इसकी परिवर्तनकारी शक्ति और इसके डिजिटल नवाचारों ने भारत में वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है।

Source: PIB

शिक्षा मंत्रालय ने साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया

सन्दर्भ

- सभी राज्यों को लिखे पत्र में शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 'साक्षरता' को परिभाषित किया है तथा बताया है कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) के तहत वयस्क साक्षरता के लिए नए सिरे से किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर 'पूर्ण साक्षरता' प्राप्त करने का क्या अर्थ है।

साक्षरता और पूर्ण साक्षरता क्या है?

- शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने कहा है कि साक्षरता को पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता के रूप में समझा जा सकता है, अर्थात् डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता

आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल के साथ-साथ पहचान करना, समझना, व्याख्या करना तथा निर्माण करना।

- पूर्ण साक्षरता, जिसे 100% साक्षरता के बराबर माना जाता है, एक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश में 95% साक्षरता प्राप्त करना होगा जिसे पूरी तरह से साक्षर के बराबर माना जा सकता है।

न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (NILP)

- यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक पांच वर्षों के दौरान 1037.90 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा।
  - इसमें केन्द्रीय हिस्सा 700.00 करोड़ रूपये तथा राज्य हिस्सा 337.90 करोड़ रूपये है।
- इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 5.00 करोड़ निरक्षरों को समायोजित करना है।
- इस योजना के पांच घटक हैं; जैसे आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा।

योजना के अंतर्गत लाभार्थी

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा मोबाइल ऐप पर घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाती है।
  - अशिक्षित व्यक्ति भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी स्थान से सीधे पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- शिक्षण सामग्री और संसाधन NCERT के DIKSHA प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिए गए हैं और इन्हें मोबाइल ऐप के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के प्रसार के लिए टीवी, रेडियो, सामाजिक चेतना केंद्र आदि जैसे अन्य माध्यमों का भी उपयोग किया जाना है।

भारत में साक्षरता चुनौतियाँ

- जनगणना 2011 के अनुसार, देश में साक्षरता दर 2001 में 64.8% की तुलना में 2011 में 74% थी।
  - 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 25.76 करोड़ निरक्षर व्यक्ति हैं, जिनमें 9.08 करोड़ पुरुष और 16.68 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं।
- साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति के बावजूद, जिसके तहत 2009-10 और 2017-18 के बीच 7.64 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर प्रमाणित किया गया, अनुमान है कि भारत में 18.12 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं।

भारत में कम साक्षरता के कारण

- **शैक्षिक उपयोगिता:** ग्रामीण क्षेत्रों में, सीमित आर्थिक अवसरों के कारण शिक्षा को मूल्यवान नहीं माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नामांकन दर कम होती है।
  - इसके अतिरिक्त, आस-पास स्कूलों की उपलब्धता प्रायः सीमित होती है, जिससे शिक्षा तक पहुंच भी सीमित हो जाती है।

- **जातिगत असमानताएँ:** निचली जातियों के खिलाफ़ भेदभाव के कारण स्कूल छोड़ने की दर बहुत अधिक है और नामांकन दर कम है।
- **महिला साक्षरता:** भारत में निरक्षर व्यक्तियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात महिलाएँ हैं, जो समग्र रूप से कम साक्षरता दर में योगदान देती हैं।
- **बुनियादी सुविधाओं का अभाव:** स्कूलों में पीने के पानी, शौचालय और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव, विशेष रूप से लड़कियों के लिए उपस्थिति को कम करता है।

निरक्षर व्यक्तियों के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ

- निरक्षर व्यक्तियों को प्रायः सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके समुदायों में आत्म-सम्मान कम हो सकता है और उन्हें हाशिए पर धकेला जा सकता है।
- संचार, शिक्षा और सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता निरक्षर व्यक्तियों के लिए चुनौती है।
- निरक्षर व्यक्तियों को उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों से बाहर रखा जाता है, जिनमें तकनीकी कौशल या औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, जिससे उनकी आर्थिक गतिशीलता सीमित हो जाती है और वे गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं।
- निरक्षरता का चक्र पीढ़ियों तक जारी रह सकता है, क्योंकि निरक्षर माता-पिता के बच्चों के स्कूल छोड़ने या उन्हें आवश्यक शैक्षिक सहायता न मिलने का जोखिम अधिक हो सकता है।

सरकारी पहल

- **निपुण भारत:** इसे 2026-27 तक कक्षा 3 के बच्चों के लिए सार्वभौमिक साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया था।
    - इसमें केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तत्वावधान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-स्कूल स्तर पर स्थापित पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र की परिकल्पना की गई थी।
- **समग्र शिक्षा अभियान:** स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना, जिसमें प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा सम्मिलित है। इसका उद्देश्य समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:** इसमें सभी प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन के प्रावधान हैं।
    - इसका उद्देश्य 2025 तक प्राप्त किये जाने वाले राज्यवार लक्ष्यों और उद्देश्यों की पहचान करना भी है।
- **जन शिक्षण संस्थान (JSS):** ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए, गैर-साक्षर और नव-साक्षर व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- ये पहल भारत भर में साक्षरता और शैक्षिक परिणामों में सुधार लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें समावेशिता और समानता पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- शिक्षा को अधिक सुलभ, इंटरैक्टिव और विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर भारत में साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए।

Source:TH

बलूचिस्तान क्षेत्र में अशांति

समाचार में

- बलूचिस्तान में हाल ही में हुए बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान में शासन की समस्याओं और गहरे जातीय तनाव को रेखांकित करते हैं।

परिचय

- बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है जो अब तीन देशों पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच विभाजित है।
- बलूचिस्तान में हाल ही में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन बलूच यकजेहती समिति (BYC) द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन, संसाधनों के दोहन और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को संबोधित करने के लिए आयोजित किए गए थे।
- **महिलाओं की भागीदारी:** महरंग बलूच सहित महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सरकार की कार्रवाइयों के प्रति उनके गहरे असंतोष को प्रकट करता है।

अशांति के कारण

- बलूचिस्तान के राजनीतिक इतिहास में 1947 में स्वतंत्रता के लिए असफल प्रयास, 1948 में पाकिस्तान में बलपूर्वक सम्मिलित किया जाना और सत्ता के केंद्रीकरण के कारण महत्वपूर्ण क्षेत्रीय असंतोष शामिल है।
- **आर्थिक असमानताएँ:** संसाधन-समृद्ध होने के बावजूद, बलूचिस्तान आर्थिक रूप से अविकसित बना हुआ है।
    - संसाधनों के दोहन से स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्रीय शिकायतों में वृद्धि हुई है।
- **मानवाधिकार मुद्दे:** इस क्षेत्र में बलपूर्वक लोगों को गायब किए जाने और न्यायेतर हत्याओं की घटनाएं हो रही हैं, जिससे असंतोष गहरा रहा है और अशांति और बढ़ रही है।
- **चीन की भूमिका**
    - चीन बलूचिस्तान में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है और उसने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के भाग के रूप में खनन, ऊर्जा, हवाई अड्डों और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में निवेश किया है।

- CPEC चीन के काशगर से शुरू होकर पाकिस्तान की पूरी लंबाई से होकर ग्वादर में समाप्त होता है।
- CPEC परियोजनाओं के माध्यम से बलूचिस्तान में चीन के निवेश ने सैन्यीकरण, स्थानीय समुदायों के विस्थापन और बलूच लोगों के लिए ठोस लाभों की कमी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

- **उग्रवाद और सुरक्षा प्रतिक्रिया:** सुरक्षा बलों और CPEC परियोजनाओं के विरुद्ध सशस्त्र उग्रवाद तीव्र हो गया है, जिसके कारण पाकिस्तानी सरकार की ओर से कठोर सुरक्षा प्रतिक्रिया सामने आई है।

प्रभाव

- विरोध प्रदर्शनों के कारण सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष हुए, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुईं, हिरासत में लिए गए और प्रमुख शहरों में नाकेबंदी के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं।
- ग्वादर, हब, मस्तंग और क्वेटा जैसे कई शहरों तथा कस्बों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई एवं प्रमुख मार्गों की नाकेबंदी के परिणामस्वरूप भोजन, दवा और पेट्रोल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई।

सुझाव और आगे की राह

- बलूचिस्तान की स्थिति पाकिस्तान के राष्ट्र निर्माण प्रयासों में व्यापक चुनौतियों को प्रदर्शित करती है, विशेष रूप से जातीय और धार्मिक पहचान को संतुलित करने और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करने में।
- बलूचिस्तान के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक दयालु दृष्टिकोण की मांग की जा रही है, जिसमें स्थानीय हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया है और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर किया गया है।

Source: TH

भारत-ब्राजील सामरिक साझेदारी

सन्दर्भ

- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने ब्राजीलियाई समकक्ष माउरो विएरा के साथ 9वें भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की सह-अध्यक्षता की।

परिचय

- भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में "गहरी और विविधतापूर्ण" हुई है। यह रक्षा, अंतरिक्ष, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों तक फैली हुई है, जो विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करती है।.
- भारत ने ब्राजील के जी20 प्रेसीडेंसी के लिए अपना पूरा समर्थन दोहराया क्योंकि वह वर्तमान में ब्लॉक का अध्यक्ष है।

- पिछले वर्ष भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंप दी गई थी।

भारत और ब्राज़ील संबंधों की प्रमुख विशेषताएं

- **सामरिक साझेदारी:** दोनों देशों के बीच संबंध 1948 में स्थापित हुए तथा दोनों देश 2006 से सामरिक साझेदार हैं।
  - दोनों पक्षों के पास क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई संयुक्त कार्य समूह भी हैं।
- **व्यापार संबंध:** 2022 में, द्विपक्षीय व्यापार 32% बढ़कर 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (भारत का निर्यात 8.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर और आयात – 6.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।
  - भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार में बाधाओं की पहचान करने तथा उन पर नजर रखने और उन्हें दूर करने के लिए उचित उपाय करने हेतु एक संस्थागत तंत्र के रूप में व्यापार निगरानी तंत्र की स्थापना की है।
- **रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग:** भारत और ब्राजील ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए 2003 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त रक्षा समिति (JDC) की बैठकें रक्षा सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में आयोजित की जाती हैं।
- **सुरक्षा सहयोग:** भारत और ब्राजील ने आपसी चिंता के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को कवर करने के लिए 2006 में एक रणनीतिक वार्ता तंत्र की स्थापना की।
  - दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि तथा सजायाफ्ता व्यक्तियों के स्थानांतरण का समझौता विद्यमान है।
- **अंतरिक्ष सहयोग:** भारत और ब्राजील ने 2004 में बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक रूपरेखा समझौते के साथ-साथ अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच अंतर-संस्थागत सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  - दोनों देश डेटा साझाकरण और भारतीय उपग्रहों की सैटेलाइट ट्रैकिंग में सहयोग कर रहे हैं।
- **बहु मंच संबंध:** भारत तथा ब्राजील द्विपक्षीय स्तर पर और बहुपक्षीय मंचों जैसे BRICS, BASIC (ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का समूह), G-20, G-4, IBSA, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूनेस्को और WIPO जैसे बड़े बहुपक्षीय निकायों में भी बहुत घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध साझा करते हैं।

रिश्तों में चुनौतियाँ

- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** भारत और ब्राज़ील दोनों ही उभरती हुई शक्तियाँ हैं, जो वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभाव की आकांक्षा रखती हैं। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, जहाँ दोनों देश अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव चाहते हैं।
- **व्यापार बाधाएँ:** भारत और ब्राज़ील के मध्य व्यापार अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुँच पाया है, जिसका आंशिक कारण दोनों देशों में विभिन्न व्यापार बाधाएँ और संरक्षणवादी उपाय हैं। ये बाधाएँ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विकास में बाधा डालती हैं।
- **बुनियादी ढाँचा और संपर्क:** दोनों देशों के बीच बुनियादी ढाँचे और संपर्क में सुधार करना एक चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

- चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रयास, आर्थिक सहयोग में वृद्धि और वैश्विक मुद्दों पर साझा आधार खोजने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- बाधाओं के बावजूद, भारत-ब्राजील की मजबूत साझेदारी के संभावित लाभ इन चुनौतियों पर नियंत्रण पाने को एक सार्थक प्रयास बनाते हैं।

Source: TH

ऑस्ट्रेलिया में राईट टू डिस्कनेक्ट: कार्य और जीवन में संतुलन

सन्दर्भ

- हाल ही में, ऑस्ट्रेलिया ने "राइट टू डिस्कनेक्ट" नामक एक विनियमन लागू किया है, जो कर्मचारियों को कार्य के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं से प्राप्त संचार को अनदेखा करने की अनुमति देता है।

ऑस्ट्रेलिया के राइट टू डिस्कनेक्ट के बारे में

- यह कर्मचारियों को नियमित कार्य घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं से संचार को अनदेखा करने की अनुमति देता है।
- इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य कार्य घंटों के बाहर लगातार उपलब्ध और उत्तरदायी होने से जुड़े तनाव को कम करना है।
- यह मानता है कि कर्मचारियों को पुनः ऊर्जित करने और स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए समर्पित डाउनटाइम की आवश्यकता होती है।
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार 20 से अधिक अन्य देशों में सम्मिलित हो गई है, जो ज्यादातर यूरोप और लैटिन अमेरिका में इसी तरह के नियम अपना रहे हैं।

यह कैसे कार्य करता है?

- कर्मचारियों के पास अब कार्य के घंटों के बाद अपने नियोक्ताओं से कॉल या टेक्स्ट को अस्वीकार करने का विकल्प है, बिना किसी नकारात्मक परिणाम के डर के।
- नियोक्ताओं को नियमित व्यावसायिक घंटों के बाहर कर्मचारियों से संपर्क करने से मना नहीं किया गया है, लेकिन नया कानून कर्मचारियों को यह तय करने का अधिकार देता है कि कब उनसे संपर्क करना उचित है।
- घंटों के पश्चात् संचार के बारे में मतभेदों को नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सीधे हल किया जाना चाहिए।
    - यदि आवश्यक हो, तो फेयर वर्क कमीशन (FWC) विवादों में मध्यस्थता कर सकता है। FWC के पास नियोक्ताओं को यह आदेश देने का अधिकार है कि वे कार्य के घंटों के बाद कर्मचारियों से संपर्क करना बंद कर दें या इसके विपरीत, यदि उनका इनकार अनुचित माना जाता है तो कर्मचारी से जवाब मांगें।
- **FWC के निर्देशों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है:** व्यक्तियों के लिए 19,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक तथा उद्यमों के लिए 94,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक।

निहितार्थ और परिप्रेक्ष्य

- **कार्य-जीवन संतुलन:** राईट टू डिस्कनेक्ट कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ाता है। यह स्वीकार करता है कि कर्मचारियों को कार्य से संबंधित संचार से दूर समर्पित समय मिलना चाहिए।
    - कुछ लोगों को चिंता है कि कठोर सीमाएँ लचीलेपन में बाधा बन सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ भूमिकाओं (जैसे, आपातकालीन सेवाएँ) के लिए निरंतर उपलब्धता की आवश्यकता होती है।
- **नियोक्ता के दायित्व:** कुछ लोग इस बात पर बल देते हैं कि नियोक्ता का कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों की भलाई की रक्षा करे। लगातार डिजिटल कनेक्टिविटी से थकान और तनाव हो सकता है।
    - हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि सख्त नियमन से व्यावसायिक उत्पादकता में बाधा उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से वैश्वीकृत, परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्था में।
- **प्रौद्योगिकी और संस्कृति:** राईट टू डिस्कनेक्ट प्रौद्योगिकी के उपयोग के आस-पास विकसित हो रहे मानदंडों को दर्शाता है। यह स्वीकार करता है कि "हमेशा चालू" रहना संवहनीय नहीं है।
    - हालांकि, कुछ लोगों का तर्क है कि प्रौद्योगिकी कंपनियों को ऐसे उपकरण डिजाइन करने चाहिए जो निरंतर संपर्क को बनाए रखने के बजाय स्वस्थ सीमाओं को प्रोत्साहित करें।

वैश्विक उदहारण

- **फ्रांस:** 2017 में 'राईट टू डिस्कनेक्ट' की शुरुआत की, जिससे कर्मचारियों को कार्य के घंटों के बाहर कार्य से संबंधित ईमेल को अनदेखा करने की अनुमति मिली।
- **पुर्तगाल, बेल्जियम और आयरलैंड:** संतुलन की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने भी यही किया।

निष्कर्ष

- ऑस्ट्रेलिया का "राइट टू डिस्कनेक्ट" कानून व्यक्तिगत समय और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को स्वीकार करता है।
- यह एक सकारात्मक बदलाव है जो यह मानता है कि कार्य को हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध

समाचार में

- सरकार ने 156 फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनमें चेस्टन कोल्ड और फोरासेट जैसी लोकप्रिय दवाएं भी शामिल हैं, जिनका उपयोग क्रमशः सर्दी, बुखार और दर्द के लिए किया जाता है।

परिचय

- 2014 से अब तक कुल 499 FDC पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। तर्कहीन FDC की समस्या को सबसे पहले 2012 में प्रकटीकरण किया गया था।
- 2014 में गठित एक समिति ने 963 ऐसी दवाओं को तर्कहीन पाया और उन पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया।
- सरकार की हालिया कार्रवाई इन्हें बाज़ार से हटाने के लिए चल रहे प्रयासों का भाग है।
- 2019 के नियमों के अनुसार FDC को नई दवाओं के रूप में माना जाना चाहिए, जिसके लिए केंद्रीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जिससे बाज़ार में तर्कहीन संयोजनों की संख्या कम हो गई है।
    - भारतीय फार्मास्युटिकल अलायंस (IPA) ने पिछली समिति की समीक्षा का उदहारण देते हुए प्रतिबंध का समर्थन किया है और रोगी सुरक्षा पर बल दिया है

फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) दवाएं क्या हैं?

- वे ऐसी औषधियां हैं जिनमें एक ही खुराक के रूप में एक से अधिक सक्रिय घटक होते हैं, जिनका उपयोग प्रायः उन स्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है जिनमें विभिन्न दवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि तपेदिक और मधुमेह, ताकि उपचार के प्रति अनुपालन में सुधार हो सके।
    - इस प्रतिबंध में जठरांत्र संबंधी समस्याओं, एलर्जी रोधी दवाओं, त्वचा उपचार, माइग्रेन और मतली, मासिक धर्म में ऐंठन और स्तंभन दोष के लिए संयोजन सम्मिलित हैं।

प्रतिबंध का कारण

- **कोई चिकित्सीय लाभ नहीं:** इन FDCs को सरकार द्वारा "तर्कहीन" कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे कोई चिकित्सीय लाभ प्रदान नहीं करते हैं या उनमें ऐसे तत्व सम्मिलित हैं जो एक साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं करते हैं या रोगियों के लिए एक साथ लेना आवश्यक नहीं है।
    - मरीज़ों को अनावश्यक दवाएँ खानी पड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, चेस्टन कोल्ड में पैरासिटामोल, सेटिरिज़िन और फिनाइलेफ्राइन का मिश्रण होता है, जो प्रत्येक मरीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता।

- **बाजार पर प्रभाव:** निर्माताओं को इन दवाओं का उत्पादन, भंडारण और बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है, हालांकि संभावित कानूनी चुनौतियों के कारण वे कुछ समय के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।
- **स्वास्थ्य पर प्रभाव:** इन प्रतिबंधित FDCs का सेवन करने से अब हानि होने की संभावना नहीं है, लेकिन इनके निरंतर उपयोग से एंटीबायोटिक प्रतिरोध और अनावश्यक दवा जैसे जोखिम उत्पन्न होते हैं।
    - पहले लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, FDCs के अनुपात में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से एंटीबायोटिक FDCs में, जिनमें से विभिन्न संभावित रूप से अनुपयुक्त हैं और WHO द्वारा अनुशंसित नहीं हैं।

Source : IE

आईएमडीएक्स एमपॉक्स डिटेक्शन आरटी-पीसीआर जाँच

सन्दर्भ

- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने एमपॉक्स का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षण किट के निर्माण के लिए सीमेंस हेल्थिनियर्स को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स के प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में वर्गीकृत किया है।
- रोग का एक नया प्रकार पहली बार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से आगे बढ़कर कम से कम 12 अन्य अफ्रीकी देशों में फैल गया है।

एमपॉक्स क्या है?

- एमपॉक्स, जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो ऑर्थोपॉक्सवायरस वंश की एक प्रजाति मंकीपॉक्स वायरस के कारण होती है।
    - वायरस के दो अलग-अलग क्लैड हैं: क्लैड I (उपक्लैड Ia और Ib के साथ) और क्लैड II (उपक्लैड IIa और IIb के साथ)।
- **सामान्य लक्षण:** त्वचा पर लाल चकत्ते या म्यूकोसल घाव जो 2-4 सप्ताह तक रह सकते हैं, साथ ही बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और सूजे हुए लिम्फ नोड्स भी हो सकते हैं।
- **संचरण:** यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैल सकता है जिसे एमपॉक्स है, दूषित पदार्थों के साथ या संक्रमित जानवरों के साथ।
- **उपचार:** एमपॉक्स का उपचार सहायक देखभाल के साथ किया जाता है, जिसमें पोषण, जलयोजन, त्वचा की देखभाल, द्वितीयक संक्रमणों की रोकथाम और एचआईवी सहित सह-संक्रमणों के उपचार पर पूरा ध्यान दिया जाता है।
- **रोकथाम:** एमपॉक्स के लिए टीके हैं। टीकाकरण पर अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के साथ विचार किया जाना चाहिए।

Source: TH

हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि

सन्दर्भ

- लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने हाल ही में 'बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024' पारित किया।

परिचय

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकने और इससे संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए बनाया गया था।
- विधेयक में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
    - इसका उद्देश्य लैंगिक समानता प्रदान करना और लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा तथा व्यक्तिगत विकास के अवसर उत्पन्न करना है।
- हिमाचल प्रदेश को गर्व है कि वह भारत का पहला राज्य है जिसने लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का कानून बनाया है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- कम उम्र में विवाह न केवल महिला के करियर में बाधा उत्पन्न कर सकता है, बल्कि उसके शारीरिक विकास में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर, राज्य का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास अधिक विकल्प और अवसर हों।

Source: TH

BPR&D का 54वां स्थापना दिवस

सन्दर्भ

- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के 54वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D)

- **परिचय:**
    - इसकी औपचारिक स्थापना 1970 में हुई थी और इसने 1966 में गठित पुलिस अनुसंधान सलाहकार परिषद का स्थान प्राप्त की। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
    - इसका उद्देश्य भारतीय पुलिस बलों को स्मार्ट (रणनीतिक, आधुनिक, चुस्त, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से सुसज्जित) बलों में परिवर्तित करना है, जो पुलिसिंग और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम हों।
- **मिशन और विजन:**

- गतिशील और विकासशील समाज में पुलिस और जेल से संबंधित मुद्दों पर व्यवस्थित और तीव्र अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- देश भर में पुलिसिंग के तरीकों और तकनीकों को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को लागू करना।

- **प्रमुख कार्य और प्रभाग:**
  - **प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण प्रभाग:** यह प्रभाग पुलिस प्रशिक्षण के लिए गुणवत्ता मानक तैयार करता है तथा क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
    - यह सुनिश्चित करता है कि कानून प्रवर्तन कर्मियों को अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक संसाधन प्राप्त हों।
    - गोर-कमेटी (1971) ने पुलिस के प्रशिक्षण पहलुओं का अध्ययन किया और विभिन्न सिफारिशें दीं।
    - सरकार ने ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करने के लिए पहले से विद्यमान दो डिवीजनों के अलावा एक प्रशिक्षण प्रभाग (1973) बनाया।
    - यह iGOT (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) सहित प्रशिक्षण पहलों में सक्रिय रूप से संलग्न है, जो सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करता है।
  - **विशेष परियोजना प्रभाग:** यह इंटरनेट सुरक्षा, मानव तस्करी, लैंगिक मुद्दों और वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है। यह पुलिसिंग और प्रशासन में मूल्यवान शोध भी प्रकाशित करता है।
  - **अनुसंधान और सुधारात्मक प्रशासन प्रभाग:** प्रमुख पुलिसिंग क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए उत्तरदायी, यह प्रभाग साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और सुधारात्मक प्रथाओं में योगदान देता है।

Source: DD News

भारत को NQM के तहत पहला क्वांटम कंप्यूटर मिलेगा

समाचार में

- भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत लॉन्च किया जाएगा।

परिचय

- मिशन का लक्ष्य आगामी तीन वर्षों में 20-50 क्यूबिट, आगामी पाँच वर्षों में 50-100 क्यूबिट और आगामी 10 वर्षों में 50-1000 क्यूबिट की गणना करने वाला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करना है।
- भारत के लिए अपना स्वयं का घरेलू क्वांटम कंप्यूटर होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, चीन ने क्वांटम कंप्यूटिंग में सबसे अधिक निवेश किया है, जो अमेरिका से भी अधिक है।
- भारत को महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे पर आक्रमणों से बचने के लिए अपनी स्वयं की कंप्यूटिंग क्षमताओं की आवश्यकता है।

- क्वांटम तकनीक कंप्यूटिंग, संचार, क्रिप्टोग्राफी और सेंसिंग को प्रभावित करेगी, जिसका प्रयोग स्वास्थ्य सेवा, वित्त और रक्षा में किया जाएगा।

राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में

- इसे 19 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- **कुल लागत:** 2023-24 से 2030-31 तक ₹6003.65 करोड़।
- **कार्यान्वयन रणनीति:** शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में चार विषयगत हब (टी-हब) स्थापित करना, जिन पर ध्यान केंद्रित करना होगा:
  - क्वांटम कंप्यूटिंग
  - क्वांटम संचार
  - क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी
  - क्वांटम सामग्री और उपकरण
  - अनिवार्य क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- **मिशन के उद्देश्य:** सुपरकंडक्टिंग और फोटोनिक प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करके मध्यम स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना।
  - भारत में 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित ग्राउंड स्टेशनों के बीच उपग्रह-आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करना।
  - अन्य देशों के साथ लंबी दूरी के सुरक्षित क्वांटम संचार को सक्षम बनाना
  - **क्वांटम कंप्यूटिंग लक्ष्य:**
    अल्पकालिक: तीन वर्षों में 20-50 क्यूबिट प्राप्त करना।
    - मध्यम अवधि: पांच साल में 50-100 क्यूबिट।
    - दीर्घ अवधि: दस साल में 50-1000 क्यूबिट।
- **प्रभाव:** भारत के प्रौद्योगिकी विकास पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता तक उन्नत करना।
  - संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुँचाना।
  - दवा डिजाइन, अंतरिक्ष, बैंकिंग और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोग।
  - डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास लक्ष्य (SDG) जैसी राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करना।

Source : TH

सतीश कुमार: रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष

सन्दर्भ

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में सतीश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

- कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति है जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रमुख पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है।

रेलवे बोर्ड के बारे में

- रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा विस्तारित रेलवे नेटवर्क के बेहतर प्रबंधन के प्रयासों के तहत की गई थी।
- यह भारतीय रेलवे के प्रशासन, संचालन और नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
- रेलवे बोर्ड का नेतृत्व चेयरमैन और CEO करते हैं, जो भारतीय रेलवे के प्रशासनिक और परिचालन प्रमुख होते हैं।

Source: TH

हूलॉक गिबन्स

सन्दर्भ

- असम वन्यजीव विभाग ने केंद्र से सिफारिश की है कि होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) में तेल और गैस अन्वेषण के लिए वन मंजूरी दी जाए।

होलोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य

- यह असम के जोरहाट जिले में स्थित सदाबहार वन का एक अलग संरक्षित क्षेत्र है। इस अभयारण्य की आधिकारिक स्थापना 1997 में की गई और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया।
- इसमें भारत के एकमात्र गिब्बन - हूलॉक गिब्बन और पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र रात्रिचर प्राइमेट - बंगाल स्लो लोरिस पाए जाते हैं।

हूलॉक गिबन्स

- गिब्बन सभी वानरों में सबसे छोटे और सबसे तेज़ होते हैं। हूलॉक गिब्बन, जो भारत के पूर्वोत्तर में पाया जाता है, गिब्बन की 20 प्रजातियों में से एक है।
- **वितरण:** यह पूर्वी भारत तथा बांग्लादेश से लेकर म्यांमार और दक्षिणी चीन तक के वन क्षेत्रों में पाया जाता है।
- **निवास:** यह प्रजाति अपने प्राकृतिक क्षेत्र में घने सदाबहार, मिश्रित सदाबहार और झाड़ीदार जंगलों में पाई जाती है।
- **उपस्थिति:** हूलॉक गिब्बन की विशेषता लंबे बाल, घुमावदार सफेद भौंह धारियाँ और हल्के त्रिकोणीय आकार का सिर है।

- **आहार:** ये जानवर सामान्यतः फल खाने वाले होते हैं, लेकिन फलों में कीड़े, पत्ते और अन्य वनस्पति पदार्थ भी मिल सकते हैं।
- **खतरे:** आवास की हानि और भोजन के लिए शिकार।
- **संरक्षण स्थिति:** IUCN रेडलिस्ट में लुप्तप्राय, जबकि पूर्वी हूलॉक को संवेदनशील के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
    - दोनों प्रजातियाँ भारतीय (वन्यजीव) संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध हैं।

Source: IE

सूडान

सन्दर्भ

- पूर्वी सूडान में अरबात बांध भारी वर्षा के कारण ढह गया, जिससे खतरनाक बाढ़ आ गई।

सूडान के बारे में

- अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित, यह क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने से पहले, सूडान अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था।
- यह दक्षिण-पश्चिम में मध्य अफ्रीकी गणराज्य, पश्चिम में चाड, उत्तर में मिस्र, पूर्व में इरिट्रिया, दक्षिण-पूर्व में इथियोपिया, उत्तर-पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में दक्षिण सूडान और लाल सागर से घिरा है।
- यह विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी का भी घर है।
    - सफेद और नीली नील नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तूम में संगम करती हैं और संगम करके नील नदी बन जाती हैं जो मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर तक बहती है।

Source: TH

■■■■